नगर निगम, आगरा

ई–न्यूज लैटर

जुलाई,2017

इस अंक में :

- कण्डा/उपला बनाने एवं जलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही।
- कर्मचारी सेवानिवृत्ति।
- स्वच्छ भारत मिशन।
- अमृत योजना।

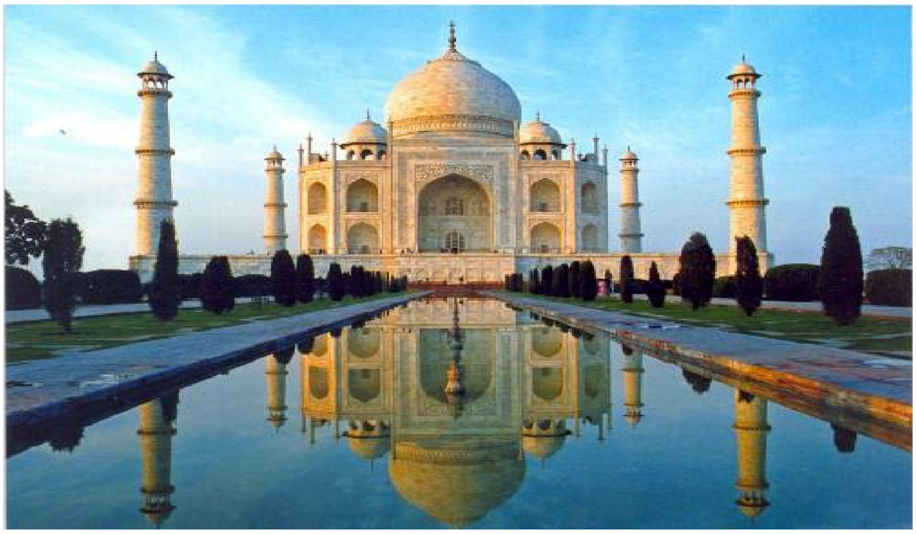

इन्द्रजीत आर्य
महापौर

इन्द्र विक्रम सिंह
नगर आयुक्त

कण्डा/उपला बनाने एवं जलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही : शहरी क्षेत्र में कण्डा/उपला बनाने एवं जलाने वालों के विरूद्ध नगर निगम, आगरा द्वारा नगर निगम अधिनियम की धारा 258 (घ) 386 एवं 460/467 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2017 में कुल 88 चालान किये गये।

कर्मचारी सेवानिवृत्ति : नगर निगम, आगरा में कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को उनके सेवानिवृत्ति उपरान्त देय भुगतानों के लिए एवं पेंशन स्वीकृति के लिये कार्यालय के चक्कर लगाना न पडे। इस हेतु नगर निगम, आगरा द्वारा प्रत्येक माह के अन्तिम दिन सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके समस्त देयों के भुगतान के चैक एवं पी0पी0ओ0 ससम्मान विदाई समारोह आयोजित करके हस्तगत किये जाते हैं।

माह जुलाई 2017 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 31.07.2017 को सेवानिवृत्त देय भुगतान के चैक एवं पी0पी0ओ0 वितरित किये गये। कुल 04 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई समारोह में फूलमाला एवं शॉल पहना कर सम्मानित किया गया और कुल धनराशि रू. 3590058.00 का चैक वितरण किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन : भारत सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्तमान में इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन (आई.एच.एच.एल.) के अन्तर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से केन्द्रांश एवं राज्यांश की प्रथम किश्त हेतु 4486 लाभार्थियों को किश्त जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आई.ई.सी. के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा एक प्रचार टीम का गठन एवं एक प्रचार वाहन तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से वार्डों में बैठकों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार किया जाता है। भारत सरकार की ओर से स्वच्छता संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु तैयार किये गये एप को 1264 मोबाइलों में डाउनलोड किया जा चुका है।

अमृत योजना: अमृत योजनान्तर्गत नगर निगम को आर्थिक रुप से सुदृण करने हेतु भारत सरकार द्वारा सूचीबद्व फर्मों में से गृहकर, विज्ञापन कर को बढ़ाने एवं **Non Revenue Water** को कम करने एवं जलकर को बढ़ाये जाने हेतु कंसल्टेंट रखे जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये।